फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/72 बअनवान तहसीलदार बाली बनाम रबैक पेरेडाइज
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
5/12/024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा तलब की गई वर्तमान मौका रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक बेडा व पटवारी हल्का दूदनी की प्राप्त होने से उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि अप्रार्थी द्वारा अपनी धारित कृषि भूमि का अकृषि उपयोग नहीं लिया है, बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(19) एवं अध्याय–6के अनुसार कृषि जिन्स को इकट्ठा करने व कृषि संयत्र रखने के लिये 12X12 फीट का शेड बनाया गया है। जो भूमि सुधार की परिभाषा में आने से धारा 177 टिनेंसी एक्ट के प्रावधानो का उल्लंघन नहीं है। विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी ने निरीक्षक भू0अ0 बेडा एवं पटवारी हल्का, दूदनी द्वारा दिनांक 20.11.2024 को तैयार मौका रिपोर्ट की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर दलील दी कि प्रस्तुत मौका फर्द एवं प्रस्तुत मौके के फोटो चित्रो से भी इसकी पुष्टि होती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप किये जाने की दलील दी गई। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा वकील अप्रार्थी की दलीलो का खण्डन नहीं किया गया। जिससे पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान मौका रिपोर्ट एवं मौके के फोटो चित्रो के अवलोकन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम दूदनी के खसरा नंबर 1365/1292 रकबा 1.1480 हैक्टर पर वर्तमान में किसी प्रकार की अकृषि गतिविधि नहीं होने से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं है। जिससे प्रकरण में आगे कार्यवाही जारी रखना न्याय संगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) * सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	